रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265408 CG-DL-E-13082025-265408

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3596]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3596]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3688(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में दी जाने वाली सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 865(अ), तारीख 18 फरवरी, 2025 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को अंतिम रूप से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 फरवरी, 2025 से छह मास की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार अपेक्षित है;

5389 GI/2025 (1)

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 865(अ), तारीख 18 फरवरी, 2025 में निर्दिष्ट अविध को, 19 अगस्त, 2025 से छह महीने की और अविध के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त उद्योगों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होगी।

[फा. सं. एस-11017/04/2025-आई.आर.(पी.एल.)] अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3688(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka, which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th February, 2025, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 865(E), dated the 18th February, 2025;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, hereby extends the period specified in the notification number S.O.865(E), dated the 18th February, 2025 for a further period of six months with effect from the 19th August, 2025 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/04/2024 -IR (PL)]
AJOY SHARMA, Jt. Secy.